गन्ने के एफआरपी मूल्य पर लोस में सवाल

समाजवादी पार्टी ने एफआरपी को अपर्याप्त बताते हुए विरोध जताया

प्रेट्र • नई दिल्ली

चीनी मिलों द्वारा गन्ना खरीद के लिए केंद्र सरकार द्वारा तय फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस (एफआरपी) मूल्य पर सवाल उठाते हुए समाजवादी पार्टी ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि वह किसानों के हितों की रक्षा के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं कर रही है। सपा के सदस्यों ने लोकसभा का बहिष्कार भी किया।

प्रश्नकाल के दौरान सपा के सदस्य नरेश अग्रवाल ने केंद्र सरकार द्वारा घोषित एफआरपी और उत्तर प्रदेश में हाल में घोषित स्टेट एडवायजरी प्राइस (एसएपी) के बीच बड़ा अंतर होने का मसला उठाया। उन्होंने कहा कि दोनों सरकारों के मूल्य में इतना ज्यादा अंतर क्यों है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल में 290 रुपये प्रति क्विंटल एसएपी तय किया है। जबकि केंद्र ने एफआरपी सिर्फ 210 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है। इन दोनों मूल्य के बीच इतना भारी अंतर सवाल पैदा करता है। इस पर कृषि राज्य मंत्री तारिक अनवर ने कहा कि केंद्र सरकार कृषि मूल्य एवं लागत आयोग (सीएसीपी) की सिफारिश के आधार पर एफआरपी तय करती है जबकि एसएपी कुछ राज्यों द्वारा तय किया जाता है। केंद्र देश के 16 कृषि विश्वविद्यालयों और राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके एफआरपी का निर्धारण करता है जबकि राज्य अपने स्तर पर एसएपी तय करने के लिए स्वतंत्र हैं।

₹210

प्रति क्विंटल गन्ने का एफआरपी तय किया है केंद्र सरकार ने

₹290

प्रति क्विंटल एसएपी की घोषणा की है उत्तर प्रदेश ने

लेकिन नरेश अग्रवाल के मंत्री के बयान पर संतुष्ट नहीं थे, उनकी मांग थी कि दोनों मूल्य के बीच भारी अंतर की वजह बताई जाए। इस पर अनवर ने कहा कि सीएसीपी ने गन्ना उगाने की लागत के आधार पर एफआरपी तय किया है। राज्य सरकार अपने स्तर पर किसानों को अतिरिक्त मूल्य दिलाने के लिए स्वतंत्र हैं। अग्रवाल ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार किसानों को गन्ने का उचित मूल्य दिलाने के लिए इच्छुक नहीं है। केंद्र सरकार के जवाब से असंतुष्ट सपा के सदस्यों ने धरना दिया।